

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद ।

दिनांक—11.01.2023

पुकार करायी गयी। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं.—7ब अंतर्गत धारा—5 मियाद अधि० प्रस्तुत किया गया था जिसे सत्र न्यायाधीश फैजाबाद द्वारा दिनांक—12.12.2022 को स्वीकार किया गया था।

आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बल न देने का पृष्ठांकन किया गया है। प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अभिषेक कुमार बगड़िया)

प्रभारी सत्र न्यायाधीश
फैजाबाद ।